न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 40/23 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2023/00044)

विजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी भण्डारी वेरूनी, थाना बालाघाट, तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली राजस्थान

..... रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 13.03.2015 व सिलसिले शस्त्र अनुज्ञा पत्र निलंबित क्रमांक 62 लाइसेन्स नंबर 370/98

उपस्थितिः–

1. श्री घनश्याम शर्मा अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 07.11.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से पारित आदेश दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि अपीलान्ट बी.एस.एफ में हैड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में A-COY 46 BN BSF अखनूर जम्मू राज्य में कार्यरत है। अपीलान्ट के विरूद्ध थाना बालघाट टोडाभीम करौली में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 71/2008 दर्ज होने के कारण अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 317/98 का नवीनीकरण दिनांक 31.12.2011 को होना था, परन्तु एफ.आई.आर के कारण से नवीनीकरण नहीं हुआ। अनुज्ञा पत्र जमा करवा लिया गया। इस बीच पंचायत आम चुनाव के कारण जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा जारी की गई आज्ञा दिनांक 29.12.2014 व आदेश दिनांक 12.02.2015 की पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2015 के द्वारा अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र संख्या 370/98 जब्त सरकार किये जाने का आदेश दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील अदालत हाजा में पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्ट की तलवी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से वक्त बहस कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2015 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि अपीलान्ट बी.एस.एफ में हैड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है तथा वर्तमान में A-COY 46 BN BSF अखनूर जम्मू राज्य में पदस्थापित है। अपीलान्ट के विरूद्ध थाना बालघाट टोडाभीम में एफ.आई.आर नंबर 71/2008 दर्ज होने के कारण तत्समय अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं किये जाने के कारण असल अनुज्ञा पत्र को जमा करा लिया गया था। इसके बाद पंचायत आम चुनाव 2015 के संदर्भ में जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से जारी की गई अधिसूचना क्रमांक न्याय/पंचायत आम चुनाव/15/ 9356 में दिनांक 29.12.2014

में समस्त शस्त्र अनुज्ञाधारियों से शस्त्र जमा कराने की अपेक्षा की गई थी। इस अधिसूचना के बिन्दु संख्या 2 में यह शिथिलता दी गई थी कि ऐसे अनुज्ञापत्रधारी जो लम्बे समय से राजस्थान से बाहर रह रहें हैं तथा चुनाव के दौरान आने की संभावना नहीं है, के द्वारा शस्त्र जमा कराए जाने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलान्ट पंचायत आम चुनाव 2015 के समय जम्मू व कश्मीर राज्य में कार्यरत होने के कारण न तो उक्त चुनाव के दौरान आने की संभावना ही थी और न ही अपीलान्ट उक्त अवधि में राजस्थान में आया। इसके बावजूद जिला मजिस्ट्रेट करौली ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 को जारी कर दिया। जिसमें अधिसूचना के बिन्दु संख्या 2 की पालना नहीं की गई। अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 71/2008 का निस्तारण सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक अधिकारी टोडाभीम की ओर से दिनांक 30.08.2019 को किया गया। इस कारण इससे पूर्व अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण हेतु अपीलान्ट की ओर से आवेदन पेश नहीं किया जा सका। अपीलान्ट के बी.एस.एफ में कार्यरत होने के कारण सीमित समय हेतु अवकाश पर आने के कारण अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी तथा 2020 से कोरोना कोविड–19 के चलते अवकाश नहीं मिलने से अपीलान्ट जिला मजिस्ट्रेट करौली के कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका था। शस्त्र जमा कराने के संबंध में स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर व राष्ट्रदूत के दिनांक 14.01.2015 के संस्करण में सूचना प्रकाशित करवाई गई थी, परन्तु उक्त समाचार पत्रों का प्रसारण जम्मू–कश्मीर में नहीं होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से पारित आदेश की जानकारी अपीलान्ट को तत्समय नहीं हो सकी। निलम्बन की जानकारी के बाद अपीलान्ट द्वारा आदेश की नकल प्राप्त कर वकीलों से सलाह करने के बाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2015 निरस्त किया जावे व अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट की ओर से जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से पारित आदेश 13.03.2015 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 06.04.2023 को लगभग 8 वर्ष के विलम्ब से अपील पेश की गई है। मीमो आफ अपील में न तो यह उल्लेख किया गया कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी कब व किस से प्राप्त हुई और न ही यह उल्लेख किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की नकल कब प्राप्त की। मीमो आफ अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में भी अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने की दिनांक का कोई उल्लेख नहीं किया गया। वरन् 2022 में अवकाश पर आने पर अपीलान्ट को अनुज्ञा पत्र के निलम्बन की जानकारी प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है। यद्यपि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील विलम्ब से पेश किये जाने के संबंध में कोई पर्याप्त व उचित कारण अपीलान्ट की ओर से नहीं बताया गया है। जबकि विलम्ब के प्रत्येक दिन का उचित व पर्याप्त कारण बताया जाना आवश्यक है। अतः प्रथम तो उक्त अपील मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। फिर भी यदि न्यायहित में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि अपीलान्ट ने अपने मीमो आफ अपील में यह उल्लेख किया है कि वर्ष 2015 में वह A-COY 46 BN BSF अखनूर जम्मू राज्य में कार्यरत था तथा पंचायत आमचुनाव के समय राजस्थान में आने की संभावना नहीं थी और न ही इस दौरान अपीलान्ट राजस्थान में आया, परन्तु इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जो पहचान पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया गया है वह भी दिनांक 07.06.2022 को जारी किया गया है जो कि जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.03.2015 के लगभग 7 वर्ष के बाद का है। दूसरी ओर जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से पंचायत आम चुनाव 2015 के संबंध में जारी आदेश दिनांक 29.12.2014 के द्वारा सभी शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों से दिनांक 03.01.2015 तक हथियार जमा करवाए जाने की अपेक्षा की गई थी। जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक करौली की ओर से प्रेषित की गई रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के क्रम संख्या 62 पर अपीलान्ट विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह राजपूत को सूचना दिये जाने के बावजूद हथियार जमा नहीं करवाए जाने की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट करौली को भिजवाई गई। इस रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 के द्वारा 64 व्यक्तियों के शस्त्र अनुज्ञा पत्र अग्रिम आदेश तक निलम्बित किये जाने का आदेश दिया गया। जिसमे क्रम संख्या 62 पर अपीलान्ट को जारी अनुज्ञा पत्र संख्या 370/98 का उल्लेख भी है। मीमो आफ अपील में वर्णित यह तथ्य कि अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 370/98 का नवीनीकरण दिनांक 31.12.2011 के बाद नहीं होने के कारण उसके अनुज्ञा पत्र को असल जमा कर दिया गया था, के संबंध में किसी तरह का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलान्ट की ओर से पेश नहीं किया गया। इसके अलावा भी जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 के द्वारा अपीलान्ट सहित अन्य अनुज्ञाधारियों के अनुज्ञापत्र स्थायी रूप से निलम्बित/निरस्त नहीं कर अग्रिम आदेश तक निलम्बित कर दर्ज शस्त्र को जब्त सरकार किये जाने का आदेश दिया है। अपीलान्ट की ओर से अपने अनुज्ञा पत्र को निलम्बन से बहाल करवाए जाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट करौली के समक्ष कोई आवेदन किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया। चूंकि जिला मजिस्ट्रेट करौली ने पंचायत आम चुनाव 2015 के संबंध में जारी आज्ञा दिनांक 29.12.2014 की पालना में जिन अनुज्ञापत्रधारियों ने शस्त्र जमा नहीं कराए थे। उनके संबंध में पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 को पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 07.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर